न्यायालय सहायक कलक्टर (S D O) पीपाड़ शहर

पीठासीन अधिकारी, शैतानसिंह राजपुरोहित R.A.S.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 318/2020

प्रार्थीगण :

1. बाबुराम पुत्र ढगलाराम
2. हवली पत्नि ढगलाराम

जाति मेघवाल निवासी बुचकलां तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण :

1. चूनाराम पुत्र जोगाराम जाति मेघवाल निवासी बुचकलां तहसील पीपाड़ शहर
2. प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक शाखा पीपाड़ शहर
3. भूमिधारी जरीये तहसीलदार पीपाड़ शहर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राज. काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता
श्री बक्तावरसिंह जाखड़ प्रार्थीगण की ओर से
श्री अब्दुल सलीम खान अप्रार्थी सं. 1 की ओर से

निर्णय

दिनांक : 31.03.2021

प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान कास्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया है कि ग्राम बुचकलां तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा मे प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जासुद जमीन खसरा नं. 242 रकबा 2.5241 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय आयी हुई है। सबूत मे नकल जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 तक मय ट्रेस नक्शा के संलग्न है। ग्राम बुचकलां से केण्डानाडा जाने वाले कटाणी रास्ता ख.नं. 234 व प्रार्थीगण की भूमि के मध्य अप्रार्थी संख्या एक की खातेदारी कब्जासुद जमीन ख.नं. 243 रकबा 2.5888 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय आयी हुई है। प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जासुद जमीन मे आने जाने हेतु कोई कटाणी रास्ता नही है। ग्राम बुचकलां से केण्डानाडा जाने वाले कटाणी रास्ता से अप्रार्थी संख्या एक के खेत खसरा नं. 243 मे से दक्षिणी सीमा से होकर प्रार्थीगण के खेत ख. नं. 242 मे आने जाने हेतु सबसे निकटतम व सुलभतम रास्ता है जिसको संलग्न नजरी नक्शा मे लाल स्याही से मार्क ए बी सी डी से दर्शाया गया है। संलग्न नजरी नक्शा को प्रार्थना पत्र का अंग माना जावे। ग्राम बुचकलां से केण्डानाडा जाने वाले गै.मु. कटाणी रास्ता से अप्रार्थीगण सं. एक के खेत ख.नं. 243 मे से वादग्रस्त रास्ता अपनी भूमि ख.नं. 242 मे जा रहे थे तब दिनांक 10.09.2020 को अप्रार्थी सं. एक ने साफ तौर पर मना कर दिया। प्रार्थीगण द्वारा काफी समझाईस के बावजुद अप्रार्थीगण मान नही रहे है तथा दिनांक 10.09.2020 को अप्रार्थी संख्या एक ने प्रार्थीगण को अपने खेत मे से वादग्रस्त रास्ता से आने जाने से साफ इन्कार कर दिया तथा वादग्रस्त रास्ता को प्रार्थीगण द्वारा राजस्व रेकार्ड मे रास्ता घोषित करवाने का कहने पर भी साफ इन्कार कर दिया इसलिए प्रार्थीगण को उक्त प्रार्थना पत्र वादग्रस्त रास्ता को राजस्व रेकार्ड मे रास्ता घोषित करवाने हेतु प्रस्तुत करना पड रहा है। ग्राम बुचकलां से केण्डानाडा जाने वाले कटाणी रास्ता राजस्व रेकार्ड मे गै.मु. रास्ता के रूप मे दर्ज है। उक्त गै.मु. कटाणी रास्ता से अप्रार्थीगण संख्या एक के खेत खसरा नं. 243 मे से दक्षिणी सीमा से वादग्रस्त रास्ता मार्क ए बी सी डी प्रार्थीगण के खेत ख.नं. 242 तक सबसे निकटतम व सुलभतम रास्ता है इसके अलावा अन्य

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। इसलिए सबसे निकटतम व सुलभतम रास्ता को राजस्व रेकार्ड मे रास्ता घोषित करवाने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र पेश करना पड रहा है। प्रार्थीगण नियमानुसार डीएलसी दर से अप्रार्थीगण की भूमि जो रास्ता घोषित की जायेगी की राशि जमा करवाने को तैयार है। प्रथमदृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के हक मे है क्योंकि ग्राम बुचकलां से केण्डानाडा जाने वाले कटाणी रास्ता से होकर अप्रार्थीगण सं. एक की भूमि मे से वादग्रस्त रास्ता मार्क ए बी सी डी प्रार्थीगण की भूमि तक सबसे निकटतम व सुलभतम रास्ता है इसके अलावा प्रार्थीगण के खेत मे आने जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है अगर अप्रार्थी सं.एक ने वादग्रस्त रास्ता से होकर प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी जमीन खसरा नं. 242 मे आने जाने नही दिया तो प्रार्थीगण को अपुर्णिय क्षति होगी जिसका मुल्यांकन रूपयो मे आंका नही जा सकेगा व प्रार्थीगण अपनी खातेदारी जमीन मे रास्ता के अभाव मे आ जा नही सकेगा व प्रार्थीगण की फसल बर्बाद हो जायेगी। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के पेश कर श्रीमान न्यायालय हाजा से निवेदन है कि ग्राम बुचकलां से केण्डानाडा जाने वाले गै.मु.कटाणी रास्ता से अप्रार्थी संख्या एक के खेत खसरा नं. 243 मे से दक्षिणी सीमा से 25 फुट चौडाई मे वादग्रस्त रास्ता मार्क ए बी सी डी रास्ता घोषित फरमावे तथा राजस्व रेकार्ड मे रास्ता का अमल दरामद करवाया जाकर रास्ता की तरमीम की जाने का आदेश फरमावे।

हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से वकील अब्दुल सलीम खान ने वकालतनामा प्रस्तुत किया जवाब हेतु अवसर दिये जाने पर भी जवाब प्रस्तुत नही करने पर उनका जवाब बन्द किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 का समन बाद तामील प्राप्त होने पर भी अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। अप्रार्थी सख्या 3 तहसीलदार पीपाड़ शहर ने मोका कमिश्नर रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि ग्राम बुचकलां के खसरा नं. 242 के खातेदार बाबूराम पुत्र ढगलाराम व हवली पत्नि ढगलाराम जाति मेघवाल निवासी बुचकलां ने ख.नं. 242 मे पहुंचने हेतु ख.नं. 243 के दक्षिणी मोड पर 25 फुट चौडाई मे मार्ग की मांग की गई। मौका दोनो उभय पक्षकारो व हल्का पटवारी बुचकलां व मोतबिरानो के साथ देखा गया। मौके अनुसार ख.नं. 243 के दक्षिणी मेड पर पानी को रोकने हेतु तीन फुट ऊंचाई मे धोरा लगा हुआ है जो पुरे खेत ख.नं. 243 के पानी को रोके रखता है। ख.नं. 243 के उत्तरी मेड पर उत्तरी पश्चिमी कोने पर एक सार्वजनिक टांका बना हुआ है जो ख.नं.234 गै.मु. रास्ते मे बना हुआ है। ख.नं. 243 के उत्तरी मेड की लम्बाई दक्षिणी मेड से कम लम्बाई मे है एव उत्तरी मेड पर रास्ता बनता है तो कोई अवरोध नही है मौके पर भी रास्ता चलने के निशानात मोजुद है। दक्षिणी मेड पर रास्ते के निशानात नही है। ख.नं. 242 मे पहुंचने के लिये कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। ख.नं. 242 मे जाने हेतु सबसे नजदीक व सुगम रास्ता ख.नं. 243 के प्रस्तावित रास्ते ही है। प्रस्तावित रास्ते का नजरी नक्शा व प्रस्ताव अगले पृष्ट पर अंकित है जो रिपोर्ट का हिस्सा है। प्रस्ताव संख्या 1, खसरा नं.243 के उत्तरी मेड पर स्थित लम्बाई चौडाई, लम्बाई ए से बी 55 मीटर चौडाई 6 मीटर 330 वर्गमीटर ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज एवं मौका कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 15.12.2020 का अवलोकन करने पर पाया कि अब प्रार्थी के ग्राम बुचकलां के खसरा नम्बर 242 आने जाने हेतु खसरा

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

नम्बर 243 में से मार्क A से B के उत्तरी भाग में से 0.0330 हैक्टयर भूमि दिया जाना प्रस्तावित है ।

अतः राजस्व ग्राम बुचकलां के खसरा नम्बर 242 में आने जाने हेतु अप्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 243 में से प्रस्तुत कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 15.12.2020 लाल स्याही से दर्शाये मार्क A से B के उत्तरी भाग कुल क्षैत्रफल 0.0330 हैक्टयर भूमि को रास्ते के उपयोग हेतु घोषित की जाती है । जिसकी मालियत राशि रूपये 4392/– रूपये बनती है । जिसकी नियमानुसार दुगुनी राशि 8784/– रूपये बनती है । प्रार्थी राशि 8784/– रूपये का चैक/डी.डी. अप्रार्थी/राजकोष के नाम से तहसीलदार पीपाड़ शहर के समक्ष अप्रार्थी को अदा करने हेतु जमा करावें ।

तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता है कि राशि 8784/– रूपये का चैक/डी.डी. प्राप्त कर अप्रार्थीगण/राजकोष को भुगतान करें एवं रास्ते की भूमि की तरमीम राजस्व नक्शे में करें । इस आशय की तहरीर तहसीलदार पीपाड़ शहर के नाम जारी हो । मौका कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 15.12.2020 व उसमें संलग्न मौका फर्द एवं नजरी नक्शे को निर्णय का अंग समझा जावें । खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें ।

(शैतानसिंह राजपुरोहित)
सहायक कलक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

निर्णय आज दिनांक 31.03.2020 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

(शैतानसिंह राजपुरोहित)
सहायक कलक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)